# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—314 / 2010 / 223 (2010 / 00023)**

1. किशनलाल पुत्र रामदेव, जाति बलाई, नि0 रघुनाथपुरा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. श्रीतमी कंचन पत्नि नन्दराम, जाति जाट, नि0 रघुनाथपुरा, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

3. लाली पुत्री रामदेव,
4. सुमित्रा पुत्री रामदेव,
   जाति बलाई, नि0 रघुनाथपुरा, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

**प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय, दिनांक 16.8.2010 अंतर्गत वाद संख्या 118 / 08 / 2010 .**

**उपस्थितः—**

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 2.
4. श्री लक्ष्मणनाथ योगी, वकील रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

## निर्णय

**दिनांकः—27.3.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.8.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण / रेस्पो0 के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चकवी तहसील सरवाड़ स्थित आराजी खसरा नंगर 118 / 6 रकबा 11—4—00 बीघा अपीलांट के पिता रामदेव की नियमानुसार

आवंटित आराजियात होकर पूव में रामदेव तत्पश्चात् अपीलांट लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है । लेकिन संवत् 2022 से वादी तथा दिलीपसिंह पुत्र रतनसिंह रावत, निवासी चकवी के बीच उक्त आराजियात बाबत् तनाजा चला आ रहा है और वादी के कब्जे काश्त में बावजूद खसरा परिवर्तनशील में दिलीपसिंह प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण उसने अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा अपीलांट के पिता रामदवे को परेशान करने के कारण वादी के पिता ने नन्दराम पुत्र सूरजकरण से इस विवाद को निपटाने के लिये आग्रह किया लेकिन नंदराम एवं दिलीपसिंह ने आपसी दुर्भिसंधी कारित कर अपीलांट के पिता का नाम विलोपित करवा दिया तथा रिकार्ड के अनुसार पूव ंमं 2006 से 2021 तक अपीांट के पिता रामदेव की काश्त दर्ज होने के बाद रामदेव एवं दिलीपसिंह के मध्य आगे के वर्षो में तनाजा दर्ज कर दिया गया एवं दिलीपसिंह के फौत होने के बाद वतमान में नंदराम ने अपनी पत्नि के नाम खसरा परिवर्तनशील में अंकित करवा लिया । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.8.2010 को अबेट होना मानते हुए खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एव ंरिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अजमेर जिले में 3 उपखण्ड नये सृजित किए गए यथा पीसांगन, भिनाय एवं सरवाड़। चूंकि पक्षकारान के निवास स्थान ग्राम रघुनाथपुरा की तहसील भिनाय है जहां उपखण्ड कार्यालय का सृजन हो चुका है ऐसी स्थिति में उक्त पत्रावली की सुनवाई का क्षैत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को ही इसके बावजूद उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को प्रेषित कर दी गई एवं उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जो क्षैत्राधिकार विहिन है। बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष वादी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.7.2010 को यह शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि उनके द्वारा मृतक रामदेव की कायम मुकाम कार्यवाही हेतु दिनांक 30.3.2010 को ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था जिसकी प्रति अभिभाषक की पत्रावली पर मौजूद है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दिनाक 30.3.2010 को प्रस्तुत किया जाना नहीं मानते हुए अपने निर्णय में यह अंकित करते हुए यदि दिनांक 30.3.2010 को सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तो वादी स्वंय का दायित्व था कि पत्रावली में शामिल करवाता जिससे प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकता था, कतई गलत है क्योंकि न्याया0 की पत्रावली पर प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकार के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय की पत्रावली को पक्षकार द्वारा प्राप्त की जाकर उसमें दस्तावेज लगाने का अधिकार पक्षकार को नहीं है वरन् न्यायिक कर्मचारियों का दायित्व है । बहस में आगे कथन किया कि रामदेव का स्वग्रवास दिनांक 17.2.2010 को हुआ था ऐसी स्थिति में कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु 90 दिन की अवधि निर्धारित है एवं उक्त 90 दिन की अवधि पश्चात् अबेटमेंट सेटअसाईट करने हेतु 60 दिन की अवधि अतिरिक्त निर्धारित है इस प्रकार कुल 150 दिन की अवधि निर्धारित है जबकि पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र मय मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 21.6.2010 को प्रस्तुत किया गया था जिससे वाद पत्र कतई अबेट नहीं होता है । अधी0न्याया0 को नरम रूख अपनाते हुए

कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिये था । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जो केवल हस्ताक्षर करना जानते है उन्हें कायम मुकाम एवं मियाद अधि0 एवं अबेटमेंट बाबत् कोई कानूनी जानकारी नहीं है । ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के आधार पर न्याय प्रदान करते के इरादे से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेना चाहिये था । इसके अतिरिक्त रेस्पो0 द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे भी वाद अबेट नहीं किया जा सकता था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कायम–मुकाम की कार्यवाही स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट द्वारा समयावधि में कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं किये जाने से अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का वाद अबेट किया है । कायम मुकाम की कार्यवाह करने की जिम्मेदारी अपीलांट/वादी की है । अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधिसम्मत् रूप से खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट के पिता रामदेव पुत्र छोगा ने वाद प्रस्तुत किया था जिसकी मृत्यु होने पर अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 दिनांक 21.6.2010 को पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 16.8.2010 द्वारा इस आधार पर निरस्त कर वाद अबेटमेंट के आधार पर खारिज किया है कि प्रार्थी द्वारा मृतक के कायम मुकाम की कार्यवाही 90 दिन की समयावधि में नहीं की है । इस संबंध में अपीलांट ने अपने अपीलमीमों एवं बहस में यह भी कथन किया कि 30.3.2010 को अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र सहवन से न्यायालय की पत्रावली में शामिल नहीं किया जिसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुंत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.6.2010 का प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा खण्डन किया जाना पत्रावली से स्पष्ट नहीं है । हम अपीलांट अभिभाषक के इस कथन से भी सहमत है कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिन्हें नियमों की जानकारी नहीं है । जहां प्रकरण में पक्षकारों के हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि ग्राम रघुनाथपुरा तहसील भिनाय में अवस्थित है तथा निर्णय की दिनांक से पूर्व भिनाय उपखण्ड सृजित हो चुका था इसलिये उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भिनाय को हस्तातंरित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर क्षैत्राधिकार विहिन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को मृतक वादी रामदेव के स्थान पर पक्षकार नियुक्त कर सुना जाना उचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.8.2010 निरस्त योग्य तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 स्वीकार योग्य होने से प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 स्वीकार कर पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है मृतक वादी रामदेव के स्थान पर अपीलांट को पक्षकार नियुक्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 27.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**